पत्रांक–03A/स्था0 अपर समाहर्त्ता,(शक्ति)–07/2025– (3 A)/रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषय :– **अपर समाहर्त्ता (राजस्व) के रिक्त पदों पर प्रभार प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी जिलों में अपर समाहर्त्ता/के पदों पर पदस्थापन की कार्रवाई सरकार स्तर से की जाती है, तथा इसकी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत की जाती है। तथापि कतिपय मामलों में विभाग/सरकार स्तर से अपर समाहर्त्ता का पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में जिला समाहर्त्ता के स्तर से भी किसी पदाधिकारी को अपर समाहर्ता (राजस्व) के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है, परन्तु जिला स्तर से अपर समाहर्त्ता का प्रभार देने की स्थिति में राजस्व न्यायालीय शक्ति प्रदत्त नहीं किए जाने के कारण राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण कार्यो के संपादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तथा आम रैयतों/भू–धारियों को भी अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

वर्णित स्थिति में राजस्व प्रशासन एवं राजस्व न्यायालय संबंधी कार्यों के सुगम संचालन हेतु यह आवश्यक है कि जिला स्तर से किसी पदाधिकारी को अपर समाहर्त्ता का प्रभार दिए जाने पर उन्हें न्यायिक शक्तियों का प्रभार भी जिला समाहर्त्ता के स्तर से ही दिया जाए, तथा उसकी घटनोतर संपुष्टि हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में अपर समाहर्त्ता (राजस्व) के रिक्त पदों पर किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत करने/प्रभार देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–03A/स्था0 अपर समाहर्त्ता,(शक्ति)–07/2025– (3A)/रा०, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–03A/स्था0 अपर समाहर्त्ता,(शक्ति)–07/2025– 120 (3A)/रा०, पटना–15, दिनांक–19.02.2025

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.2.25

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।